

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक /सा.सहा.3/2016/3330
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22-11-2016

1. समस्त कलेक्टर,
(जिला - शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
(जिला - शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)
मध्यप्रदेश।

विषय :- समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर समग्र पोर्टल पर दर्ज (सीडिंग) करने के संबंध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 2-8/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 20.10.2016 एवं म.प्र. शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय का पत्र क्रमांक 302/मु.स./2016/सा. न्याय. भोपाल, दिनांक 23.08.2016

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में राज्य शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में 31 दिसम्बर 2016 तक आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. दिनांक 25.10.2016 को आयोजित कमिशनर्स/कलेक्टर्स कॉफ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भी उपरोक्त कार्यवाही दिसम्बर 2016 तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

3. उपरोक्त निर्देशों के परिपालन एवं समय-सीमा को ध्यान में रखते हुये 31 दिसम्बर 2016 तक समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर पेंशन पोर्टल पर शत-प्रतिशत दर्ज (सीडिंग) करवाने का कष्ट करें एवं संलग्न निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में जानकारी तैयार की जाकर सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भेजते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)

प्रमुख सचिव

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

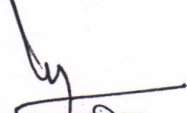
// 2 //

पृ. क्रमांक /सा.सं. १२०१६/३३३१

भोपाल दिनांक २२/११/२०१६

प्रतिलिपी :-

१. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
२. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
३. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश।
४. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.। (जिला - शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)
५. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (जिला - शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)।


प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

4

[illegible]

④

393

②